भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं0 ई-12012/7/2012-रा0भा0

दिनांक:31 दिसम्बर, 2012

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी/पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र
दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गुवाहाटी।
कार्यपालक निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
रेडियो निर्माण व विकास एकक,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली ।
प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज,
बमरौली, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
मैट्रो प्रभाग,
चेन्नई/कोलकाता ।
मुख्य विमान चालक,
उड़ान निरीक्षण एकक,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली
महाप्रबंधक,
केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो/
विद्युत एवम् यांत्रिक वर्कशाप,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली

विषय: **<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित नई प्रोत्साहन योजनाऐं</u> ।**

महोदय,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित नई प्रोत्साहन योजनाएं निगमित मुख्यालय के दिनांक 23 अप्रैल, 2009 के पत्र सं0 ई-12012/9/2007 के अधीन परिपत्रित की गई थीं। सक्षम प्राधिकारी ने इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की समीक्षा की गई है तथा प्रोत्साहन पुरस्कारों में वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान किया है । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:-

1. **<u>हिन्दी में भेजे गए पत्रों हेतु हिन्दी पत्राचार योजना :-</u>**

क्रम सं0	पत्रों की संख्या	परिशोधित प्रोत्साहन राशि	निगमित मख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालय , निदेशक विमानपत्तन, कोलकाता, चेन्नई , तिरुवनन्तपुरम, सी ए टी सी, इलाहाबाद, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक व महाप्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	अन्य सभी कार्यालय
1.	151 पत्र से अधिक	2000 रूपए	2 पुरस्कार	1 पुरस्कार	1 पुरस्कार
2.	101 पत्र से 150 पत्र तक	1500 रूपए	3 पुरस्कार	2 पुरस्कार	1 पुरस्कार
3.	51 से 100 पत्र तक	750 रूपए	5 पुरस्कार	4 पुरस्कार	1 पुरस्कार

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-११०००३
Safdarjung Airport, New Delhi - 110003
दूरभाष : २४६३२९५०
Phone : 24632950
फैक्स : ९१.११.२४६३२९९०
Fax : 91-11-24632990

2. मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण/आलेखन(नोटिंग/ड्राफ्टिंग) कार्य योजना :

क्रम सं0	टिप्पण/आलेखन (नोटिंग-ड्राफ्टिंग) में प्रयुक्त हिन्दी शब्दों की संख्या	परिशोधित प्रोत्साहन राशि	निगमित मख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक विमानपत्तन, कोलकाता, चेन्नई , तिरुवनन्तपुरम, सी ए टी सी, इलाहाबाद, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक व महाप्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	अन्य सभी कार्यालय
1.	10001 से अधिक शब्द	1500 रूपए	2 पुरस्कार	1 पुरस्कार	1 पुरस्कार
2.	5001 से 10000 शब्द	1000 रूपए	3 पुरस्कार	2 पुरस्कार	1 पुरस्कार
3.	2000 से 5000 शब्द	750 रूपए	5 पुरस्कार	4 पुरस्कार	1 पुरस्कार

3. अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने की योजना :

क्रम सं0	डिक्टेशन के माध्यम से जारी पत्रों की संख्या	परिशोधित प्रोत्साहन राशि	निगमित मख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशक विमानपत्तन, कोलकाता, चेन्नई , तिरुवनन्तपुरम, सी ए टी सी, इलाहाबाद, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक व महाप्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के सभी कार्यालय	अन्य सभी कार्यालय
1.	51 से अधिक पत्र	1000 रूपए	2 पुरस्कार	1 पुरस्कार	1 पुरस्कार

4. टाइपिस्टों/आशुलिपिकों को प्रोत्साहन भत्ता योजना:

4.1 यह योजना उन आशुलिपिकों/ टाइपिस्टों पर लागू होगी जो अंग्रेजी के अतिरिक्त अपना कार्यालयीन टाइपिंग कार्य हिन्दी में भी करते हैं । यह योजना **मासिक आधार** पर लागू होगी । इस योजना में भाग लेने वाले पदधारियों को हिन्दी में किए गए कार्य के आधार पर निम्नानुसार भत्ता दिया जाएगा :-

मासिक कार्य की मात्रा	परिशोधित प्रोत्साहन भत्ता राशि
100 पत्र/टिप्पण/ प्रारूप अथवा अधिक	**आशुलिपिकों को 500/- रूपए प्रति माह व टाइपिस्टों को 350/- रूपए प्रति माह ।**

J. Sethi

5. <u>राजभाषा नोडल अधिकारी योजना :</u>

यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगी व योजना से संबंधित समय-समय पर जारी आदेश लागू माने जाएंगे । राजभाषा नोडल अधिकारी के मानदेय को **750/- रूपए से बढा कर 1000/- रूपए** किया जा सकता है।

6. **हिन्दी भाषा प्रशिक्षण - प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ व हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि** प्रशिक्षण के बारे में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा नकद पुरस्कार के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाएगा । तथापि वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में निगमित मानव संसाधन प्रबंधन परिपत्र सं0 55/2011, दिनांक 17.11.2011 व परिपत्र सं0 22/2012, दिनांक 15 मई, 2012 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

उपर्युक्त परिशोधित पुरस्कार राशि 1.1.2013 से लागू की जाएगी ।

इन योजनाओं के नियम व अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें व सभी क्षेत्रीय कार्यालय इन योजनाओं के अन्तर्गत नकद पुरस्कार में की गई वृद्धि की जानकारी अधीनस्थ कार्यालयों को भी कराएं ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार इस कार्यालय के दिनांक 23 अप्रैल, 2009 के उपर्युक्त पत्र के अधीन दिए गए दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद ही दिए जाएंगे ।

कृपया पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

(रज्जू दुरेहा)
महाप्रबंधक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. निगमित मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. सभी अधिकारी/अनुभाग ।
3. सभी सूचना पट्ट ।
4. उप महाप्रबंधक (राजभाषा), प्रचालन कार्यालय, गुड़गांव रोड, रंगपुरी, नई दिल्ली को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु ।